संख्याः ——/XXIV(6)/2016–40(4)/12

प्रेषक,

डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त नियंत्रक,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादूनः दिनॉकः 12 जुलाई, 2016

विषयः– **उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं एकेडमिक भवन द्वितीय चरण के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–UOU/R/B.P/2014–15/16/113 दिनांक 29.06.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–486/XXIV(6)/2015–40(4)/12 दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा मुक्त विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं एकेडमिक भवन के निर्माण कार्यों हेतु रू0 427.21 लाख के आंगणनो का प्रशासकीय अनुमोदन तथा रू0 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी, उक्त योजना की अवशेष धनराशि रू0 327.21 लाख के सापेक्ष द्वितीय किस्त रू0 33.33 लाख (रू0 तैतीस लाख तैतीस हजार मात्र) की धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2016 में दिए गए दिशा–निर्देशों एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के देयक पर निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएगें।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार ही किया जाएगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।

(3) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जबकि गत् वित्तीय वर्ष/वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो तथा कोई भी धनराशि अवशेष न हो। धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।

(4) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी ओदशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) व्यय करते समय मितव्ययता के संबध में समय–समय पर वित्त विभाग के निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाएगी एवं कोई भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाएगा क्योंकि उससे मासिक आधार पर व्यय की भ्रामक सूचना परिलक्षित होती है। इस संबंध में समस्त वित्तीय नियमों/विनियमों/कार्यदायी संस्था के साथ सम्पादित एम0ओ0यू0 का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाये।

(7) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को माह की अगली 05 तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा

(8) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि (वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के पैरा–162) समस्त आहरित अग्रिमों का समायोजन आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा 30 दिनों के अन्दर कर दिया जाय तथा डीटेल्ड कन्टीजेन्ट (डी0सी0) बिल महालेखाकार को भेज दिए जाय। विभिन्न अग्रिमों का आहरण अधिकारों के प्रतिनिधायन 2010 में दी गई सीमाओं के अनुसार ही किया जाय।

3– शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31.03.2016 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– इस संबंध में होने वाला व्यय संलग्न **विशिष्ट एलॉटमेंट आई0डी0 संख्या–H1608110171** के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के लेखानुदान की अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202 सामान्य शिक्षा–01–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–203–विश्वविद्यालयों को सहायता–आयोजनागत पक्ष–17–मुक्त विश्वविद्यालय–00–35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान की सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव।

पृ0सं0: 659 (1)/XXIV(6)/2016–40(4)/12, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी।
5. कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
6. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।